

17.3.18 पञ्जाबकी आज राजस्व लोड अदालत  
केम टोडि का पूरा अ प्रेश हुई।  
पञ्जाबकी का अवलोकन किया। उकरण  
कापी पुराना है। राजस्व रिपोर्ट के  
अवलोकन से यह सिद्ध है कि जेसायलन  
के वातेशार काइतकार है। सायल  
के वातेशारी के अधिकार का

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुक्म की तारीख  
में जारी है

निर्णय मूलवाद के निर्णयानुसार  
दिया जावेगा। इतने समय इस  
वाद श्री सायलान द्वारा ऐसा  
कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है  
जिसमें जज सायल द्वारा सायलान  
के कब्जे का इतर के कोई हस्तक्षेप  
दिया है।

अतः प्राप 212 RCM कार्र  
दिया जाता है। परमर्ण के सल्लुभार  
द्वारा मूलवाद रहे।

उपखण्डधिकारी  
डीलपर राजन